भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2599

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय - एपीएमसी में एकल एकीकृत लाइसेंस

2599. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) में व्यापारियों और आढ़तियों के लिए एकल एकीकृत लाइसेंस प्रदान करने और उसके संचालन के संबंध में कोई आदेश, परिपत्र, दिशानिर्देश या नीतिगत निर्देश जारी किए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने एकल एकीकृत लाइसेंस प्रणाली को अपनाया या लागू किया है;

(ग) उक्त प्रणाली के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकारों, एपीएमसी या विपणन बोर्डों के बीच किए गए समझौता ज्ञापन, करार या संबंधित व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी किए गए एकल एकीकृत लाइसेंसों की संख्या वर्ष-वार और राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान लाइसेंसधारकों द्वारा किए गए अंतर-राज्यीय कृषि व्यापार के मूल्य का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस प्रणाली की प्रभावशीलता और इसके परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि विपणन राज्य का विषय है। राज्य सरकारें संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसार कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) के लिए विकासात्मक नीतिगत उपाय करती हैं। भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत पहलों, बजटीय सहायता और योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) के पास अपने संबंधित एपीएमसी अधिनियमों में एकल एकीकृत लाइसेंस का प्रावधान है।

(ग): किसी भी राज्य ने एकल एकीकृत लाइसेंस प्रणाली के आधार पर अंतर-राज्यीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए अन्य राज्य कृषि विपणन विभागों/बोर्डों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) या समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य एपीएमसी अधिनियम राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के माध्यम से बिना एमओयू के भी अंतर-राज्यीय व्यापार को सक्षम बनाता है। इसी प्रकार, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार और झारखंड ई-नाम पर अंतर-राज्यीय बोलियों का समर्थन करते हैं।

(घ): लाइसेंस संबंधित एपीएमसी द्वारा स्थानीय स्तर पर जारी/नवीनीकृत किए जाते हैं। जारी किए गए एकल एकीकृत लाइसेंस की जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च): लाइसेंस धारकों द्वारा किए जाने वाले अंतरराज्यीय कृषि व्यापार के मूल्य की जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अंतर-राज्यीय कृषि व्यापार का विवरण अनुबंध में दिया गया है। सरकार द्वारा एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली की प्रभावशीलता का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है।

अनुबंध

पिछले 5 वर्षों के दौरान ई-नाम के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार मूल्य

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
		व्यापार मूल्य	व्यापार मूल्य	व्यापार मूल्य	व्यापार मूल्य	व्यापार मूल्य
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	316.69	33.97
2	असम	-	-	0.02	-	-
3	बिहार	-	-	2.00	-	59.74
4	छत्तीसगढ़	-	0.09	-	-	339.85
5	हरियाणा	-	1.09	44.37	100.05	4.01
6	जम्मू और कश्मीर	-	123.77	151.98	35.78	27.95
7	झारखंड	-	0.39	0.77	0.60	-
8	मध्य प्रदेश	-	0.45	-	-	1.42
9	महाराष्ट्र	-	70.46	3069.93	25.64	19.23
10	पुदुचेरी	0.50	73.34	27.66	98.83	34.00
11	पंजाब	-	2.06	-	-	-
12	राजस्थान	-	0.70	-	-	7.30
13	तमिलनाडु	2.20	89.39	720.12	1294.11	895.63
14	तेलंगाना	-	-	13.17	-	-
15	उत्तर प्रदेश	-	11.71	212.62	226.15	3.16
16	उत्तराखंड	-	0.62	7.13	7.28	2.36
	कुल	**2.70**	**374.07**	**4249.77**	**2105.13**	**1428.62**
